

लोक अदालत कैम्प-नाडोल  
(नाम कापके STAR कमिशन 2013)

1-6-2017

पंजाब लोक अदालत  
शिनिर नाडोल में प्रस्तुत  
हुई। वार्ड एवं परिवारवादी  
अनुपस्थित। पंजाब एवं रेकार्ड  
का अवलोकन किया। स्टार  
रेकार्ड का भी अवलोकन किया।  
वार्डवादी द्वारा वाद अन्तर्गत  
धारा 188-92(A) R.T. Act  
वाले एप्लीकेशन प्रस्तुत  
किया। उक्त वाद डीली कमांड  
मेंदिर काशापुरा वार्ड नाडोल की  
केसर पुजारीवाणी द्वारा मैक्स  
ट्रेंड विकट परिवारवादी लखी।  
सं 2 प्रस्तुत किया जा रहा है।  
परिवारवादी लखी। अर्जुन सिंह  
पुत्र मुखसिंह कंधपूर काशापुरा

उपखण्ड अधिकारी  
देसूरी (पंजाब)

माताजी ट्रस्ट, गांडावा (एच  
प्रतिवादी संघ काशापुरा  
ट्रस्ट संस्था गांडावा है।

क्या बालक रेकार्ड में काशापुरा  
शुक्ति डौली का नाम मंदिर काशापुरा  
के नाम आवेदारी दर्ज है (प्रतिवादी  
संघों)। क्या काशापुरा माताजी  
ट्रस्ट संस्था जो पंजीकृत प्रमाण  
है वलंदाग में क्याक नही रहा  
है इस संबंध में पत्रकारी गांडावा  
से रिपोर्ट ली गई। (कालांतर शुक्ति  
पर पुजार) <sup>निर्विवाद</sup> <sup>गण</sup> <sup>आविर्ज</sup> है एवं  
प्रतिवादी सं। संस्थानों का क्याक  
वलंदाग में नही रहा है।

काल: बाद काबले स्थाई  
काशापुरा का काशे लखिमन चौके  
जाने का कोई काचिल नही रहा है।  
काल: बाद कादी खारिजा विधा  
जाला है पत्रकारी प्रसल सुमार  
दीकर सल्ला से काशे है।  
कादेश सुनाया गया!

(राजेश मेवाडा)  
काशापुरा  
काशापुरा